रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-150/2019/2716/22-2-2019-17(267)/2017

लखनऊ: दिनांक: 15 नवम्बर, 2019

आदेश

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (एक्ट संख्या-2,1974) की धारा-432 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए **केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ** के सिद्धदोष **बन्दी देव नरायन (बन्दी संख्या-18222) पुत्र श्री अयोध्या प्रसाद, निवासी-परास, थाना-घाटमपुर, जिला-कानपुर नगर,** जिन्हें **सत्र परीक्षण संख्या-187/1979** के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की **धारा-148, 302/149** के अधीन मा0 चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कानपुर नगर द्वारा **दिनांक 17-12-1979** को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 18-06-1979 तक काटी गयी 16 वर्ष 10 माह 01 दिन की अपरिहार तथा 21 वर्ष 07 माह 14 दिन की सपरिहार सजा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर द्वारा की गयी समयपूर्व रिहाई की संस्तुति तथा सम्बन्धित मा0 न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई पर कोई आपत्ति न होने को दृष्टिगत रखते हुए बन्दी के नामिनल रोल पर सम्यक् विचारोपरान्त उनकी शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी को **जिला मजिस्ट्रेट**, **कानपुर नगर** के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-150/2019/2716(1)/22-2-2019 तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।
3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in